

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्राकृतिक गैस (एनजी), जोकि एक स्वच्छतम, सुरक्षित तथा अत्यन्त उपयोगी जीवाश्म ईंधन है, उर्वरक, विद्युत, शहरी गैस, इस्पात तथा अन्य भारी उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते रूप में उपयोग की जा रही है। देश में एनजी के प्राथमिक उपभोक्ता विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्रों में हैं, (62 प्रतिशत) जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कार्यचालन समूह ने XI तथा XII योजना के लिए द्रव्य ईंधन पर आधारित संयंत्रों को एनजी/री गैसीफाईड एलएनजी (आर-एलएनजी) आधारित संयंत्रों में बदलने, संयंत्रों का विस्तार, बन्द संयंत्रों का पुनरुद्धार, नए संयंत्रों की स्थापना आदि के कारण अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए उर्वरक क्षेत्र में एनजी की माँग में वृद्धि प्रत्याशित की। इसी प्रकार विद्युत उत्पादन को पूरा करने के लिए एनजी की आवश्यकता में वृद्धि अनुमानित/प्रत्याशित थी।

देश में एनजी की माँग घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से इसकी आपूर्ति की तुलना में काफी अधिक है और माँग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर 2009-10 में 77 मिलियन मीट्रिक स्टैनडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) था। 2011-12 से घरेलू क्षेत्रों से उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप माँग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर 2013-14 में 250 एमएमएससीएमडी तक बढ़ गया। चूँकि घरेलू माँग देशी उत्पादन से काफी अधिक थी और अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नए घरेलू स्रोत काफी कम थे इसलिए माँग पूरी करने के लिए उपलब्ध विकल्प अन्तर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से एनजी का आयात और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात थे। भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन में कमी का अनुमान कर अन्तर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों (1989) के माध्यम से गैस के आयात और एलएनजी (1995) के आयात के लिए कदम उठाए।

हाइड्रोकार्बन पर एक दीर्घावधि नीति रखने के उद्देश्य से “इण्डिया हाइड्रोकार्बन विजन 2025” के लिए विशेष ढांचा विकसित करने के लिए 1999 में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) स्थापित किया गया था। जीओएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (2000) अन्य के साथ एनजी क्षेत्र के उद्देश्य निर्धारित करती है जिसमें घरेलू गैस, पाइप लाइनों के माध्यम से आयातित गैस तथा रीगैसीफाईड लिक्विफाईड नेचुरल गैस (आर-एलएनजी) के मिश्रण

2015 की प्रतिवेदन संख्या 6

की एक पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के कदम शामिल किए गए। इसमें पड़ोसी तथा अन्य देशों से गैस के आयात के लिए, नियामक ढांचे की शीघ्र स्थापना करने और एलएनजी चैन में भाग लेने के लिए घरेलू कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलों का सुझाव दिया गया था।

इसके अलावा एनजी की आपूर्ति हेतु पर्याप्त ढांचा देने के लिए भारत सरकार ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों को आपूर्ति सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की संकल्पना की (2000)। बाद में राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड के विकास को सुगम बनाने के लिए पाइपलाइन ढांचे के भावी विकास के लिए नीतिगत ढांचा मुहैया कराने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, 2006 में भारत सरकार ने पाइपलाइन नीति अधिसूचित की। अनुप्रवाह कार्यकलापों के लिए नियामक तथा कानूनी ढांचा मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम बनाया (2006) और पीएनजीआरबी की स्थापना की (अक्टूबर 2007)।

एनजी का उपयोग कर बने उत्पादों की बिक्री पर आते हुए, यह कहा जा सकता है कि यूरिया का बिक्री मूल्य भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसकी बिक्री कीमत तथा उत्पादन की लागत के अन्तर पर भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार विद्युत की कीमत विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित की जाती है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर “प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा ढांचागत विकास” निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न उद्देश्यों को अभिनिश्चित करने के लिए की गई:

- क्या भारत सरकार ने देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पाइपलाइन तथा आर-एलएनजी ढांचा देने में अपनी व्यापक भूमिका निभाई है;
- उर्वरक/विद्युत क्षेत्र तथा पाइपलाइन ढांचा प्रदाताओं पर एनजी/आर-एलएनजी की अनुपलब्धता का प्रभाव; और
- क्या भारत सरकार की एनजी आबंटन तथा उपयोग नीतियां सम्पूर्ण देश में एनजी की आवश्यकता को पूरी करने में प्रभावी थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जो निष्पादन लेखापरीक्षा में देखने में आए, नीचे वर्णित हैं:

I. ढांचा विकास:

क. पाइपलाइन ढांचा:

ए. भारत सरकार ने नियामक के रूप में अक्टूबर 2007 में पीएनजीआरबी का गठन किया परन्तु पीएनजीआरबी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 16, जिसके द्वारा पीएनजीआरबी का नई पाइपलाइनों को प्राधिकृत करने के लिए सशक्तीकरण किया जाना था, को जुलाई 2010 में, अधिसूचित किया। 33 माह का यह विलम्ब देश भर में पाइपलाइनों तथा सहायक ढांचे के विकास में बाधक सिद्ध हुआ क्योंकि इस बीच की अवधि में मांग के बावजूद न तो भारत सरकार और न ही पीएनजीआरबी किसी परियोजना को प्राधिकृत करने में समर्थ था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि जीएसपीएल/गेल ने नवम्बर 2008 तथा सितम्बर 2009 के बीच चार पाइपलाइनें बिछाने की रुचि व्यक्त की परन्तु पीएनजीआरबी जुलाई 2010 तक अधिनियम की धारा 16 अधिसूचित न होने के कारण प्राधिकरण जारी करने की स्थिति में नहीं था। अधिनियम की धारा 16 की अधिसूचना जारी होने के बाद ये परियोजनाएं जुलाई 2011 तथा अप्रैल 2012 के बीच पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत की गई थी।

(पैरा 3.3.5)

बी. पीएनजीआरबी के पर्याप्त कानूनी अधिदेश के साथ पूर्णतया सक्रियात्मक होने तक, भारत सरकार ने नौ पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 2007 में प्राधिकरण जारी किए। इन नौ पाइपलाइन परियोजनाओं में से पांच के संबंध में सम्बन्धित सत्त्वों ने प्राधिकरण जारी होने के छः वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी निर्माण आरम्भ नहीं किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि प्राधिकरण एक निश्चित आरम्भ और समापन की लक्ष्य तारीख के बिना दिए गए थे। परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए प्रशासनिक निर्णय (गेल द्वारा पांच परियोजनाएं) लेने में गैस स्रोत की उपलब्धता अभिनिश्चित कर पाने के कारण

2015 की प्रतिवेदन संख्या 6

काफी विलम्ब हुआ। शेष चार परियोजनाओं के संबंध में रिलायंस गैस ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) ने शहरी गैस वितरण परियोजनाओं का विकास न होने तथा एनजी की अनुपलब्धता का उल्लेख कर परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया। इस प्रकार पाइपलाइन ढांचा, जो गैस बाजार के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, विकसित नहीं किया गया।

(पैरा 3.3.4)

सी. 2013-14 तक समापन हेतु अभिजात (राष्ट्रीय गैस ग्रिड के अन्तर्गत 2000-2011) कुल 23 कोरीडोर में से सात पाइपलाइन पूर्ण हो गई थीं, छः निर्माण के विभिन्न चरणों में थीं और 10 पाइपलाइनें अभी शुरू की जानी थीं (अक्टूबर 2014)।

(पैरा 3.3.6)

ख. आर-एलएनजी टर्मिनल

भारत सरकार ने एलएनजी के आयात और पुनःगैसीकरण के लिए एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने के अधिदेश के साथ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बनाई (1997)। पूरे देश में एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से बारह अन्य स्वत्वों ने भी निर्बाधन प्राप्त किया (1997-2000)। सुविधाओं की स्थापना के लिए स्वत्वों को प्राधिकृत करने के लिए “इण्डिया हाइड्रोकार्बन विजन- 2025” में यथापरिकल्पित नियामक ढांचे की कमी थी। यद्यपि पीएनजीआरबी की 2007 में स्थापना की गई थी परन्तु एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना तथा प्रचालित करने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करने का कार्याकारी निर्णय (अक्टूबर 2012) लेने में भारत सरकार ने पांच वर्ष से अधिक का समय लिया। एलएनजी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए नियामक ढांचे तथा तन्त्र के अभाव में इस संबंध में प्रगति काफी धीमी थी और एमओपीएनजी, एलएनजी परियोजनाओं, जिनको निर्बाधन दिया गया था, की निगरानी करने में समर्थ नहीं था।

हम सिफारिश करते हैं कि:

1. एमओपीएनजी देश भर में एनजी पाइपलाइनों तथा आर-एलएनजी परियोजनाओं का समय से समापन सुनिश्चित तथा निर्धारण करने के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों तथा अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए, स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्व केन्द्रों के साथ, एक तन्त्र विकसित करे और विलम्बों को कम करे ताकि एनजी क्षेत्र में वांछित वृद्धि प्राप्त की जा सके।

II. उर्वरक क्षेत्र पर एनजी/आर-एलएनजी की अनुपलब्धता का प्रभाव

- यूरिया उत्पादों की बिक्री कीमत भारत सरकार, जोकि इस संबंध में आर्थिक सहायता देती है, द्वारा नियंत्रित की जाती है। यूरिया उत्पादन के लिए एनजी को सबसे उचित फीडस्टाक माना जाता है। देश में यूरिया उत्पादन XI योजना के दौरान कुल मिलाकर स्थिर रहा। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नए संयंत्रों की स्थापना, वर्तमान संयंत्रों का विस्तार तथा बन्द संयंत्रों के पुनरुद्धार की परिकल्पना कर विभिन्न योजनाएं निरूपित कीं जिनके माध्यम से एनजी आधारित यूरिया संयंत्रों के माध्यम से 2010-11 से 2012-13 तक विभिन्न चरणों में यूरिया की उत्पादन क्षमता लगभग 122 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) तक बढ़ाई जानी थी।

(पैरा 4.1.1)

- एनजी की अनुपलब्धता यूरिया की देशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मुख्य बाधाओं में से एक रही। XI योजना के दौरान यूरिया की 122.25 एलएमटीपी की उत्पादन क्षमता की परिकल्पित वृद्धि की तुलना में प्राप्ति नगण्य थी (केवल 3.30

2015 की प्रतिवेदन संख्या 6

एलएमटीपीए)। यद्यपि यह स्पष्ट था कि यूरिया के आयात पर आर्थिक सहायता घरेलू उत्पादन पर आर्थिक सहायता की अपेक्षा काफी अधिक थी परन्तु एनजी/एलएनजी का आयात और एनजी के माध्यम से यूरिया के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाही पर्याप्त नहीं थी। यह मुख्यतया एलएनजी टर्मिनलों, पुनःगैसीकरण सुविधाओं, पाइपलाइनों के निर्माण और एनजी/आरएलएनजी उपलब्ध कराने के लिए दीर्घावधि अनुबन्ध सुगम करने की योजनाओं को मूर्तरूप देने में कमी के कारण था। ऐसी स्थिति के कारण यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई और परिणामस्वरूप मांग तथा उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात हुआ। इस प्रकार फीडस्टाक के रूप में एनजी के उपयोग के माध्यम से यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। 2011-12 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान वास्तविक घरेलू उत्पादन 604.36 एलएमटी की आवश्यकता के प्रति केवल 445.58 एलएमटी था। 158.78 एलएमटी की कमी का आयात किया गया था। तदनुसार यथापरिकल्पित यूरिया उत्पादन क्षमता का विस्तार न करने के कारण भारत सरकार ने परियोजनाओं के विस्तार, पुनः मरम्मत तथा पुनरुद्धार में अनुमानित निवेश पर होने वाले पूंजी सम्बन्धित प्रभार को शामिल कर लेने के बाद भी उसी अवधि के लिए ₹ 4202.12 करोड़ तक आर्थिक सहायता की बचत का अवसर खो दिया।

(पैरा 4.1.1)

- उत्पादन की लागत और आर्थिक सहायता भार को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यूरिया विनिर्माण संयंत्रों की नई मूल्य निर्धारण योजना (2007) के चरण III की अपनी नीति में सभी वर्तमान नेफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों को तीन वर्षों की अवधि के अन्दर (2009-10 तक) एनजी/आरएलएनजी (नौ संयंत्र) आधारित में परिवर्तन/रूपान्तरण का लक्ष्य रखा। वहनीय मूल्य पर संयंत्रों को एनजी की अनवरत आपूर्ति ऐसे रूपान्तरण के लिए प्राथमिक आवश्यकता थी। पर्याप्त पाइपलाइन गैस और सम्बद्धता की अनुपलब्धता के अभाव के कारण सभी योजित संयंत्रों के परिवर्तन में विलम्ब हुआ था।

परिवर्तन हेतु योजित ने संयंत्रों में से पांच संयंत्र 2011-12 के दौरान गैस में परिवर्तित की गई और एक संयंत्र 2013-14 में परिवर्तित की गई थी। परिणामस्वरूप यूरिया संयंत्रों ने मंहगे फीडस्टाक के उपयोग द्वारा उत्पादन जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप योजित परिवर्तनों के लिए अपेक्षित अनुमानित निवेश के आधार पर लिए गए पूजीसम्बन्धित प्रभार को शामिल कर लेने के बाद भी संयंत्रों, जो परिवर्तित नहीं की गई थीं, द्वारा 2010-11 से 2012-13 के दौरान राजकोष पर ₹ 7673.82 करोड़ तक आर्थिक भार कम करने का अवसर खो दिया।

(पैरा 4.1.2)

III. विद्युत क्षेत्र पर एनजी/आर-एलएनजी की अनुपलब्धता का प्रभाव

- राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में एनजी का उपयोग उचित मूल्य पर इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह परिकल्पना की गई थी कि उचित मूल्य पर देशी एनजी के आधार पर नई विद्युत उत्पादन क्षमता ऊपर उठ सकेगी। द्रव्य ईंधन का उपयोग करने वाले वर्तमान विद्युत संबन्धित उत्पादन की लागत कम करने के लिए शीघ्र ही एनजी अथवा आर-एलएनजी के उपयोग करने को परिवर्तित होने थे। XI योजना के दौरान X योजना से अग्रणीत परियोजनाओं सहित गैस आधारित संयंत्रों की बढ़ी वास्तविक क्षमता 5936 एमडब्ल्यू थी। 90 प्रतिशत पीएलएफ पर इन संयंत्रों के प्रचालन के लिए 90.70 एमएमएससीडी एनजी की कुल आवश्यकता के प्रति उपलब्धता केवल 40 एमएमएससीडी थी। एनजी की कमी पूरी करने यथा सम्भव दर पर एनजी/आर-एलएनजी के आयात के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त थे और ऐसी स्थिति बन गई जहाँ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान 66,129 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई। उत्पादन की उपर्युक्त हानि के कारण वित्तीय भार लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्पादन की लागत तथा विद्युत के आपूर्ति मूल्य में प्रत्येक राज्य में भिन्न होते हैं।

(पैरा 4.2)

2015 की प्रतिवेदन संख्या 6

- जहाँ गैस आधारित संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग का प्रावधान है, वहाँ एनजी की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन हानि नेफ्था तथा एचएसडी के उपयोग द्वारा प्रतिपूर्त की गई थी। चूँकि इन द्रव्य ईंधनों की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक है इसलिए विद्युत की कीमत आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। गैस आधारित संयंत्रों ने 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान एनजी/एलएनजी की अनुपलब्धता की भरपाई करने के लिए 31.35 लाख किलो लीटर नेफ्था और 5.01 लाख किलोलीटर एचएसडी का उपयोग किया गया था। विद्युत उत्पादन के लिए ईंधनों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विद्युत लागत की गणना के आधार पर दीर्घावधि ठेका दर पर आर-एलएनजी के स्थान पर नेफ्था के उपयोग के कारण विद्युत की लागत में वृद्धि 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान अनुमानतः ₹ 2375.33 करोड़ बनेगी जो कि अन्ततः ग्राहकों पर डाली गई थी।

(पैरा 4.2)

हम सिफारिश करते हैं कि:

2. डीओएफ तथा एमओपी के समन्वय से एमओपीएनजी अन्तर मंत्रालयी समिति का गठन करने पर विचार करे जो सुझाव दे सके:
 - i. एनजी पाइपलाइन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा बन्द उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार समकालिक करने के लिए एक समयबद्ध योजना का (संलग्न 4.2) यूरिया का आयात कम करने के अतिरिक्त फीडबैक के रूप में एनजी का लाभ इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके।
 - ii. वहन करने योग्य मूल्य पर विद्युत क्षेत्र को एनजी/आरएलएनजी मुहैया कराने के लिए अपेक्षित ढांचा बनाने के उपाय ताकि क्षेत्र में निर्मित क्षमता का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जा सके।

IV. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

क. एनजी के अन्तिम उपयोग की निगरानी के लिए तन्त्र का अभाव

विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्र आबंटन के माध्यम से व्यवस्थित कीमत तन्त्र (एपीएम) कीमत पर घरेलू गैस का लगभग 69 प्रतिशत प्राप्त करते हैं।

अ. एमओपीएनजी ने निर्देश दिया (जून 2006) कि जहाँ तक विद्युत क्षेत्र ग्राहकों का सम्बन्ध है, एपीएम कीमत केवल गैस की उन मात्राओं पर लागू होगी जो सार्वजनिक जनोपयोगी/अनुज्ञप्त वितरण कम्पनियों के माध्यम से ग्राहकों को वितरण के लिए ग्रिड को आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त की गई थी और उपर्युक्त उद्देश्य को छोड़कर अन्य के लिए प्रयुक्त एनजी के लिए बाजार दर प्रभारित की जानी थी।

(पैरा 5.3.2)

ब. एमओपीएनजी ने निर्देश दिया (जुलाई 2006) कि उर्वरक को छोड़कर अन्य उत्पाद एपीएम की आपूर्ति के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए थे और उर्वरकों को छोड़कर अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त एपीएम गैस के लिए बाजार दर प्रभारित की जानी चाहिए। तथापि ना तो एमओपीएनजी/डीओएफ ना गेल में उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र उपलब्ध था जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा सीमित नमूना जांच में पता चले एनजी के दुरुपयोग के मामलों में ₹ 630.60 करोड़ की मात्रा तक गैस पूल खाते में कम वसूली हुई थी।

(पैरा 5.3.1 से 5.3.3)

स. लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान उपलब्ध एनजी के कम उपयोग के मामले देखे गए थे जिसके परिणामस्वरूप न केवल उत्पादन की हानि हुई बल्कि अधिक यूरिया का आयात भी हुआ। उसके कारण अतिरिक्त आर्थिक सहायता (₹ 637.07 करोड़) का भुगतान हुआ क्योंकि यूरिया के आयात पर प्रदत्त आर्थिक सहायता देशी रूप से उत्पादित यूरिया पर प्रदत्त आर्थिक सहायता से अधिक थी।

(पैरा 5.4)

ख. एनजी की आपूर्ति पर विपणन लाभ

गेल के लिए घरेलू एनजी आपूर्ति का विपणन लाभ भारत सरकार द्वारा रूपयों में अनुमोदित किया गया था जबकि केजी डी6 ब्लाक का ठेकेदार अमरीकी डालर में विपणन लाभ प्रभारित कर रहा था। डीओएफ विपणन लाभ की प्रतिपूर्ति नहीं कर रहा था जैसी उर्वरक ठेकेदार द्वारा मांग की गई और केजीडी6 गैस पर विपणन लाभ के प्रति आर्थिक सहायता के दावे 2009-10 से लम्बित थे। यदि डीओएफ विपणन लाभ की प्रतिपूर्ति का निर्णय करता है, जैसी ठेकेदार द्वारा मांग की गई और उर्वरक संयंत्र द्वारा अनुरोध किया गया तो ठेकेदार द्वारा मांगे गए विपणन लाभ तथा गेल को अनुमत विपणन लाभ के बीच के अन्तर पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता भार मई 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 201.40 करोड़ होगा।

(पैरा 5.5)

हम सिफारिश करते हैं कि:

3. एमओपीएनजी विनियमित मूल्य पर आपूर्त एनजी के विचलन/दुरुपयोग की खोज और रोकने के लिए नियंत्रण प्रणाली/तन्त्र लागू करने के लिए सभी कार्यान्वयक एजेंसियों को शामिल कर रूपात्मकताए तैयार करे। इस तरह तैयार रूपात्मकताओं में उस दर पर भी निर्णय ले जिस पर निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त उपयोग की गई एनजी के लिए वसूली की जाएगी चूंकि नवम्बर 2014 से एपीएम तथा गैर एपीएम मूल्य के बीच कोई अन्तर नहीं होगा।
4. गेल एनजी आपूर्ति ठेका प्रबन्धन प्रणाली की समीक्षात्मक रूप से समालोचना करे और विशेष उपाय जैसे एनजी के अन्त उपयोग का सत्यापन करने के लिए गेल को सशक्त करने वाले एक खण्ड का गैस बिक्री तथा संचरण अनुबन्ध में और अनुच्छेद 17, जो क्रेता अथवा विक्रेता के बीच आपसी अनुबन्ध से अपेक्षित के अतिरिक्त प्रयोजनों हेतु एनजी का उपयोग करने की क्रेता को अनुमति देता है, उचित समावेशन प्रस्तुत करे जो विनियमित कीमत पर एनजी आपूर्तियों के अन्त उपयोग की खोज करने और अप्राधिकृत प्रयोजनों हेतु इसका विपथन रोकने के लिए इसे पर्याप्त रूपीक्षी शक्तिशाली बनाएगा।
5. एमओपीएनजी सुनिश्चित करे कि जिन क्षेत्रों में भारत सरकार आर्थिक सहायता भार वहन करती है, वहां घरेलू स्रोत से एनजी आपूर्ति पर एक ही